न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)
वाद सं० : 39 सन 2021
अनवान :–

1. दीप चन्द पुत्र मोहरसिह जाति जाट निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :– श्री सत्यनारायण कायल अधिवक्ता प्रार्थी
निर्णय दिनांक :– 24/02/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा ललानाबास उतरादा के खाता संख्या 222/226 के खसरा न0 52 की कुल 4.0470हैक्ट भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण दलीप पुत्र मोहरसिह दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम दीप चन्द पुत्र मोहरसिह है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड , राशनकार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम दीप चन्द पुत्र मोहरसिह दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा ललानाबास उतरादा के खाता संख्या 222/226 के खसरा न0 52 की कुल 4.0470हैक्ट भूमि में प्रार्थी का नाम दलीप पुत्र मोहरसिह के स्थान पर दीप चन्द पुत्र मोहरसिह संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ललानाबास उतरादा के खाता संख्या 222/226 के खसरा न0 52 की कुल 4.0470हैक्ट भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण दलीप पुत्र मोहरसिह दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम दीप चन्द पुत्र मोहरसिह है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड , राशनकार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम दीप चन्द पुत्र मोहरसिह दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया रोही मौजा ललानाबास उतरादा के खाता संख्या 222/226 के खसरा न0 52 की कुल 4.0470हैक्‍ भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है जिसमें प्रार्थी का नाम दलीप पुत्र मोहरसिह दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उसका सही नाम दीप चन्द्र पुत्र मोहरसिह है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड राशन कार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम दीप चन्द्र पुत्र मोहरसिह है प्रार्थी के नाम के सम्बध में सरपंच ग्राम पचायत की तस्दीक भी पेश की गई है प्रार्थी ने अपने नाम के सम्बध में स्वय का शपथ/दस्तावेजात /तहसीलदार की अभिशषां के आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों /शपथ पत्र /सरपंच एवं पेरोकार की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा ललानाबास उतरादा के खाता संख्या 222/226 के खसरा न0 52 की कुल 4.0470हैक्‍ भूमि में दलीप पुत्र मोहरसिह के स्थान पर दलीप उर्फ दीप चन्द्र पुत्र मोहरसिह जाति जाट साकिन ललानाबास उतरादा संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 24/02/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर

क्रमांक : राजस्व / रीडर / 2022 / 613 दिनांक :– 25/02/2022

तहसीलदार राजस्व

नोहर ।

विषय :– प्रकरण संख्या 39 / 2021 अनवानी दीप चन्द्र बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बध मे।

प्रंसग :– अनवान :–

1. दीप चन्द पुत्र मोहरसिह जाति जाट साकिन ललानाबास उतरादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 39 / 2021 अनवानी दीपचन्द बनाम सरकार में दिनांक 24/02/2022 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा ललानाबास उतरादा के खाता संख्या 222 / 226 के खसरा न0 52 की कुल 4.0470हैक भूमि में दलीप पुत्र मोहरसिह के स्थान पर दलीप उर्फ दीप चन्द्र पुत्र मोहरसिह जाति जाट साकिन ललानाबास उतरादा संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner